भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1037
(जिसका उत्तर मंगलवार दिनांक 09 दिसम्बर, 2025/18 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है

डाकिए और म्यूचुअल फंड वितरकों की योग्यता में अंतर

1037. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डाकिए को म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है;

(ख) क्या सामान्य म्यूचुअल फंड अभिकर्ताओं को कक्षा 12 और एनआईएसएम परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, जबकि केवल कक्षा 10 की योग्यता और डाक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले डाकिए को नई योजना के तहत म्यूचुअल फंड बेचने की अनुमति दी जा रही है;

(ग) क्या सरकार वित्तीय साक्षरता, निवेशक संरक्षण और विनियामक अनुपालन के समान मानकों को सुनिश्चित करने के लिए इस असमानता को दूर करने हेतु कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): डाक विभाग और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार**,** डाकियों सहित डाक विभाग के अधिकारियों, की जो एएमएफआई द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं**,** को म्यूचुअल फंड वितरक के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। डाक विभाग द्वारा सेबी और एएमएफआई के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है**,** जिसके अनुसार म्यूचुअल फंड वितरण के लिए एनआईएसएम वी-ए प्रमाणन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। समझौता ज्ञापन के अनुसार**,** डाक विभाग केवल उन्हीं कर्मचारियों को नामित करेगा जो **12**वीं पास (स्नातक को प्राथमिकता दी जाएगी)**,** अंग्रेजी में पारंगत और अधिमानतः **40** वर्ष तक की आयु के हों।

***